

शादी समारोह में खाना खाने के बाद 150 लोगों की तबियत बिगड़ी

खाना खाने के कुछ देर बाद लोगों को अचानक उल्टी और दस्त की शिकायत होने लगी थी



फूड प्वाइजनिंग से बीमार लोगों को केकड़ी जिला अस्पताल में भर्ती कराया।



खाद्य विभाग की टीम ने शादी में बने घेवर, मिठाई और तेल आदि के नमूने लिए।

देवली, (निसं)। बीजवाड़ गांव में गुरुवार की रात को एक शादी समारोह में आयोजित भोज में खाना खाने के बाद करीब 150 लोगों की तबियत बिगड़ गई थी। जानकारी के अनुसार गुरुवार की रात को बीजवाड़ गांव में एक शादी थी। इस शादी समारोह में एक हजार लोगों के लिए भोजन बनाया गया था। इस दौरान खाना खाने के कुछ देर बाद अचानक लोगों की अचानक उल्टी और दस्त की शिकायत होने लगी। जब यह संख्या ज्यादा बढ़ने लगी तो प्रामीणी ने तत्परता दिखाते हुए एंबुलेंस और निजी वाहनों के जरिए केकड़ी जिला अस्पताल लेकर पहुंचे जहां पर फूड प्वाइजनिंग की जानकारी लगी। फूड प्वाइजनिंग की वजह से करीब 150

लोग बीमार हो गए। जिनका उपचार केकड़ी जिला अस्पताल में किया गया और इनमें दो की हालत गंभीर होने पर अजमेर रेफर किया गया। जानकारी के अनुसार बीजवाड़ निवासी संदीप पुत्र सत्यनारायण धाकड़ को मंडप का कार्यक्रम था। उसमें करीब एक हजार लोगों का खाना बनाया। इस दौरान सैकड़ों लोग खाना खाए। शाम को करीब 7 बजे डेढ़ सौ लोगों को फूड प्वाइजनिंग हो गया। वे उल्टियां करने लगे। कोई बेसुध होकर गया। किसी को पेट दर्द होने लगा या फिर दस्त लग गए। इससे अफरा-तफरी मच गई। इसके बाद सभी बीमार लोगों को परिनज एक एक करके इलाज के लिए निजी वाहनों

■ **फूड प्वाइजनिंग से 150 लोगों की तबियत बिगड़ गई थी, अस्पताल में भर्ती कराया**

■ **बीजवाड़ गांव में शादी समारोह में एक हजार लोगों के लिए भोजन बनाया गया था**

से केकड़ी अस्पताल ले गए जहां बीजवाड़ निवासी सत्यनारायण (49) पुत्र गोपाल धाकड़, हनुमान प्रसाद जाट (25) पुत्र नंदा राम जाट, सीमा देवी

जाट (38) पत्नी महेंद्र कुमार जाट, केकड़ी जिले के सरवाड़ थाना क्षेत्र के अजगश निवासी लीला पति बालुराम धाकड़, नासरदा निवासी शंकर लाल (35) पुत्र सुखलाल की तबीयत ज्यादा खराब होने पर भर्ती किया है। अन्य 97 का प्रारंभिक उपचार किया गया। इनमें से सत्यनारायण पुत्र गोपाल धाकड़ और शंकर पुत्र सुखलाल की हालत ज्यादा खराब होने पर उन्हें अजमेर रेफर किया गया।

उधर, इनके इलाज को लेकर केकड़ी अस्पताल के पीएमओ डॉ. नवीन कुमार जांगिड़ ने पूरी सतर्कता बरती और बड़ी संख्या में लोगों के बीमार होने की सूचना पहले से मिलने से अस्पताल में सभी आवश्यक

व्यवस्था की गई। ज्यादा डॉक्टरों को कॉल करके बुलाया गया। बीजवाड़ गांव में फूड प्वाइजनिंग की शिकायत पर देवली उपखंड का प्रशासन मौके पर पहुंच गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी सत्यनारायण गुर्जर ने बताया कि गुरुवार रात बीजवाड़ खाना खाने से बीमार होने की सूचना पर टोंक से टीम यहां पहुंची और शादी में बनाए गए भोजन और बाजार से खरीदकर लाए सूखे सामान का सैपल लेकर जांच के लिए भेजा गया है। इस दौरान खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने शादी में बने घेवर, मिठाई और तेल समेत अन्य खाद्य पदार्थों के नमूने भी लिए हैं। यह सारा सामान और मावा केकड़ी के बाजार से खरीदा गया है।

बेटा-बेटी को बचाने मां पानी के होद में कूदी, तीनों की मौत

महिला अपनी बेटी दिया और बेटे हनी सिंह को लेकर खेत में बने हौद पर कपड़े धोने गई थी

जोधपुर, (कासं)। अपनी आंखों के सामने बेटा और बेटी को डूबते देख मां बचाने के लिए हौद में कूद गई। इस दर्दनाक हादसे में तीनों की मौत हो गई। घटना जोधपुर के पीपाड़ शहर थाना क्षेत्र के बाड़ा खुर्द की शुकवार सुबह 10 बजे की है। हादसे में संतोष कंवर (43) पत्नी गोविंद सिंह राजपुरोहित निवासी घेनडी जिला पाली, दिव्या कंवर (15) पुत्री गोविंद सिंह, हनी सिंह (12) पुत्र गोविंद सिंह की मौत हो गई। संतोष का पीहर बाड़ा खुर्द में है। उसके पिता राजू सिंह के घर से 500 मीटर की दूरी पर ही उनका खेत आया हुआ है।

जानकारी के अनुसार संतोष सुबह अपनी बेटी दिया और बेटे हनी सिंह को लेकर खेत में बने हौद पर कपड़े धोने

■ **हनी का अचानक पैर फिसला और वह हौद में गिर गया, भाई को डूबता देख दिया भी कूद गई**

गई थी। संतोष के साथ आस-पड़ोस के दो बच्चे और भी थे। हनी हौद के पास ही खेल रहा था। तभी अचानक उसका पैर फिसला और वह हौद में गिर गया। भाई को डूबता देख उसे बचाने के लिए दिया भी कूद गई लेकिन वह भी डूबने लगी। दोनों बच्चों को डूबता देखा तो संतोष भी उठे बचाने के लिए हौद में कूदी और वह भी डूब गई। जहां ये हादसा हुआ वहां से 500 मीटर की दूरी पर ही

खेड़ी सालवा रेलवे स्टेशन है। संतोष के साथ गए बच्चे बचाओ-बचाओ की आवाज लगाते हुए वहां पहुंचे। इसके बाद वहां मौजूद लोग घटना स्थल पर पहुंचे और तीनों को बाहर निकाला। तीनों को पीपाड़ शहर के हास्पिटल में लाया गया, जहां तीनों को मृत घोषित कर दिया गया।

इधर, घटना के बाद परिवार के लोगों को रो-रो कर बुरा हाल हो गया है।

ग्रामीण एसपी धर्मेश सिंह यादव ने बताया कि महिला के पिता राजू सिंह का परिवार गांव में ही खेती करता है। महिला का ससुराल पाली जिले के घेनडी गांव में है। इस हौद में 7 फीट की गहराई तक पानी भरा हुआ था। प्रति गोविंद सिंह पाली जिले के खिवाड़ा में चाय की होटल चलाते हैं।

जेईई एडवांसड : कैंडिडेट रिकॉर्ड रेस्पॉस जारी

कोटा, (निसं)। देश की सबसे कठिनतम प्रवेश परीक्षाओं में से एक जेईई-एडवांसड जो की इस वर्ष आईआईटी मद्रास द्वारा 26 मई को आयोजित की गयी। जेईई-एडवांसड परीक्षा के कैंडिडेट्स के रिकॉर्ड रेस्पॉस जारी कर दिए गए। इस वर्ष जेईई एडवांसड के इतिहास में सर्वाधिक 1 लाख 91 हजार से अधिक स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन करवाया था।

एलन कैरियर इंस्टीट्यूट के कैरियर काउंसिलिंग एक्सपर्ट अमित आहूजा ने बताया कि विद्यार्थियों को अपने रिकॉर्ड रेस्पॉस डाउनलोड करने के लिए जेईई एडवांसड पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म दिनांक एवं रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालकर लॉगिन करना होगा उसके बाद अपने कैंडिडेट पोर्टल पर जाकर रिकॉर्ड रेस्पॉस ऑप्शन से रिकॉर्ड रेस्पॉस डाउनलोड करने होंगे। विद्यार्थी अपने रिकॉर्ड रेस्पॉस और जारी किये गए प्रश्नपत्रों का मिलान कर अपने अंकों का आकलन कर सकेंगे। इसके बाद 2 जून को सुबह 10 बजे प्रोविजनल आंसर की जारी की जाएगी, तब विद्यार्थी आंसर की मिलान करने के बाद 3 जून शाम 5 बजे तक आंसर की के लिए अपने फीडबैक आईआईटी मद्रास को दे सकेंगे।

एम.पी. की युवती से अजमेर में दुष्कर्म

गेस्ट हाउस संचालक पर दुष्कर्म करने और गर्भपात कराने का आरोप लगाया

अजमेर, (कासं)। एमपी की युवती ने एक गेस्ट हाउस संचालक पर दो साल तक दुष्कर्म करने और गर्भपात करवाने का आरोप लगाया है। साथ ही आरोपी पर देह व्यापार में धकेलने का आरोप लगाते हुए दरगाह थाने में शिकायत दी है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दरगाह थाने में पीड़िता ने शिकायत देकर बताया कि जनवरी 2020 में जब नाबालिग थी तब वह घर छोड़कर अजमेर आ गई थी। उसने दरगाह क्षेत्र के अलग-अलग घरों में काम करके अपना गुजारा किया था। मई 2022 में उसकी मुलाकात एक गेस्ट हाउस संचालक से हुई थी। पीड़ित ने आरोप लगाया कि गेस्ट हाउस संचालक ने उसका अकेले होने का फायदा उठाकर अपने साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया था।

शारी के फर्जी फर्जी दस्तावेज

से करवाया गर्भपात :- पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वह उसके कम उम्र होने का फायदा उठाकर लगातार दुष्कर्म करता रहा था। 4 महीने बाद वह प्रेनेंट हो गई थी। इसकी जानकारी उसने आरोपी को दी तो वह उसे दवाइयां देकर अर्बाशन करवाने के लिए जबरदस्ती करने लग गया। दवाइयां से अर्बाशन नहीं हुआ तो बाद में उसने शादी के फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार करवा कर डॉक्टर से अर्बाशन करवाया दिया। इसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लग गई थी। परेशान होकर अपने घर चली गई।

पीड़िता ने पुलिस को बताया कि कुछ दिनों के बाद वह वापस अजमेर आई तो आरोपी ने उसे देह व्यापार में धकेलने के लिए मजबूर करने लग गया। मना किया तो आरोपी उसे धमकी देकर मारपीट करने लग गया। परेशान होकर उसने थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। मामले में दरगाह थाना पुलिस जांच में जुटी है।

दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल का कठोर कारावास

धौलपुर, (निसं)। विशेष न्यायालय पाँक्सो कोर्ट धौलपुर ने दिहौली पुलिस थाने पर 2021 में दर्ज हुए 15 वर्षीय नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ जबरन दुष्कर्म करने के मामले में एक आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 65 हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित किया है।

विशेष न्यायालय पाँक्सो कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि धौलपुर जिले के दिहौली

■ **कोर्ट ने 65 हजार रुपये के जुर्माने से भी दण्डित किया**

पुलिस थाना पर एक परिवारी ने 18 मार्च 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें उसने बताया कि उसकी 15 वर्षीय नाबालिग पुत्री 17 मार्च 2021 की रात को अपने दादा-दादी के पास सो रही थी। नाबालिग पुत्री 17 मार्च की रात को शौच के लिए गई हुई थी, जो वापस नहीं लौटी। पीड़ित को तलाश के दौरान जानकारी हुई

कि उसकी नाबालिग पुत्री को गब्बर बहला-फुसला कर अपहरण कर ले गया है। इसके बाद पीड़ित पिता ने नामजद आरोपी गब्बर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया और नाबालिग को उत्तर प्रदेश के आगरा जिले से डिस्टेन कर दुष्कर्म संबंधी मेडिकल करार कोर्ट में बयान दर्ज कराए गए। अनुसंधान के दौरान मुकदमा दुष्कर्म का पाए जाने पर पुलिस ने आरोपी गब्बर को गिरफ्तार कर पाँक्सो कोर्ट में पेश किया। आरोपी गब्बर

जमानत पर चल रहा है। मामले में लोक अभियोजक मिश्रा ने कोर्ट में 21 गवाह पेश कर दस्तावेजों को साबित कराया। प्रकरण में न्यायाधीश राजकुमार ने दोनों पक्षों की बहस और लोक अभियोजक की दलील सुनने के बाद शुक्रवार को 20 वर्षीय आरोपी गब्बर पुत्र रामदास को दोषी करार देते हुए बीस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उसे 65 हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया है।

परीक्षा संपन्न

अजमेर, (कासं)। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक आचार्य, पुस्तकालयाध्यक्ष एवं शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक (कॉलेज शिक्षा विभाग) परीक्षा, 2023 के तहत शुक्रवार को ऐच्छिक विषय फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर की परीक्षा का आयोजन अजमेर जिला मुख्यालय पर किया गया। आयोग के मुख्य परीक्षा निरीक्षक आशुतोष गुप्ता ने बताया कि उक्त विषय की परीक्षा के लिए कुल 4129 अर्थवर्ती पंजीकृत किए गए थे।

बॉर्डर पर हीट स्ट्रोक से जवान की तबीयत बिगड़ी

राजकीय जवाहर अस्पताल में जवान का उपचार करने के बाद जोधपुर रेफर किया

जैसलमेर, (नि.सं.)। शुक्रवार को जैसलमेर स्थित भारत-पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात बीएसएफ के एक जवान के हीट स्ट्रोक के कारण तबीयत बिगड़ने की खबर सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार भारत-पाक सीमा पर तैनात बीएसएफ के जवान की शुक्रवार दोपहर में अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उसे राजकीय जवाहर अस्पताल लाया गया, जहां अस्पताल के डॉ.मा सेंटर में बीएसएफ जवान का उपचार करने के बाद उनकी स्थिति गंभीर देखते हुए जोधपुर रेफर कर दिया।

पीड़ित बीएसएफ जवान की पहचान 57 वर्षीय एम एल डोगरा के रूप में हुई है। डोगरा 92 बटालियन बरमसर में तैनात है। जवान को

■ **पीड़ित बीएसएफ जवान की पहचान 57 वर्षीय एम एल डोगरा के रूप में हुई है डोगरा 92 बटालियन बरमसर में तैनात है**

■ **मौसम बदलने की वजह से बुखार आ गया था**

प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रेफर किया गया। जवान के साथ बीएसएफ के अधिकारी भी अस्पताल पहुंचे। रेफर किए जाने के बाद बीएसएफ के जवान

भी ख्याल रखने हेतु साथ जोधपुर गए हैं। जवाहर हास्पिटल के फिजीशियन डॉ. रोहितारा गुर्जर ने जवान का चेक अप कर प्राथमिक उपचार दिया। जवान की गंभीर हालत को देखते हुए उसे जोधपुर रेफर किया गया। जानकारी के अनुसार बीएसएफ जवान एम एल डोगरा हाल ही में बीएसएफ कंपनी के साथ कश्मीर गया था। उसकी कंपनी 2 दिन पहले ही कश्मीर से लौटी है। मौसम बदलने की वजह से उसको बुखार आ गया। बताया गया कि चिकित्सकों ने जब चेकअप किया तो जवान को 103 डिग्री बुखार था। गौरतलब है कि हीट स्ट्रोक से 27 मई को भी जैसलमेर में भारत-पाक सीमा पर तैनात बीएसएफ के एक जवान की मौत हुई थी।

हाईकोर्ट ने मांडलगढ़ पालिका अध्यक्ष संजय डांगी के वित्तीय अधिकार छीने


तीन माह पहले संजय डांगी ने मांडलगढ़ पालिका अध्यक्ष का पदभार संभाला था

मांडलगढ़, (निसं)। राजस्थान हाईकोर्ट ने मांडलगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष संजय डांगी के वित्तीय अधिकार छीने लिए हैं। गुरुवार को आदेश जारी कर मांडलगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष संजय डांगी को वित्तीय पावर मुक्त कर दिया।

पालिकाध्यक्ष संजय डांगी अगले आदेश तक पालिका के चेक पर हस्ताक्षर नहीं कर सकेंगे और न ही नगर पालिका में कोई वित्तीय लेनदेन या निर्णय कर सकेंगे। एसीबी ने संजय डांगी को तीन साल पूर्व एक ठेकेदार से रिश्कत लेते गिरफ्तार किया था। इस पर सरकार ने डांगी को अध्यक्ष पद से निलंबित भी कर दिया था। 28 फरवरी 2024 को पुनः बहाल कर पालिका अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। इस मामले को लेकर नगर पालिका के चार पार्षद अरुण

कुमार व्यास, रेखा वैष्णव, रफीक मोहम्मद टोंक तथा नजमा बानो सिलावट ने जोधपुर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की, जिसे स्वीकार कर अदालत ने 8 जुलाई 2024 को अगली सुनाई की तिथि निश्चित की है। इस अवधि या आगामी आदेश तक नगरपालिका मांडलगढ़ में अध्यक्ष संजय डांगी कोई वित्तीय निर्णय नहीं लें सकेंगे।

मांडलगढ़ नगर पालिका के अध्यक्ष के रूप में भाजपा नेता संजय डांगी 2021 के नगरपालिका चुनाव में निर्वाचित हुए थे। 21 जून 2021 को एक ठेकेदार चन्द्र रेगर से रिश्कत लेने के मामले में एसीबी ने पकड़ा था। ओर लेट भी गए थे। इस मामले में मामले में एसीबी ने विस्तृत अनुसंधान कर 103 पेज की चार्जशीट कोर्ट में पेश



मांडलगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष संजय डांगी।

की थी। इसी आधार पर स्वायत्त शासन विभाग ने निदेशक ने 25 अप्रैल 2022 को मामले को आगे चलाने के लिए अभियोजन स्वीकृति दी थी। 103 पेज

■ **डांगी को 4.20 लाख की रिश्कत लेने के आरोप में एसीबी ने तीन साल पहले गिरफ्तार कर जेल भेजा था**

की चार्जशीट में एसीबी ने लिखा कि संजय डांगी ने जो अपराध किया है, वह इस पूरे अनुसंधान में प्रमाणित है। एसीबी ने चार्जशीट में बताया था कि डांगी ने अपने बाइक शोरूम पर पालिका में कन्ट्रैक्शन ठेकेदार से रिश्कत ली गई 4 लाख 20 हजार की राशि को भी बरामद कर लिया गया था। इस आधार पर डांगी के खिलाफ भ्रष्टाचार विभाग संशोधन अधिनियम 2018 की धारा 7 का अपराध प्रमाणित है।

एसीबी ने सबूत के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला से भी जांच कराई थी। इसी आधार पर एसीबी ने चालान पेश किया था। इसके बाद ही सरकार ने डांगी को पद से निलंबित किया था। लेकिन राज्य में भाजपा की नई सरकार ने आते ही संजय डांगी को फिर से अध्यक्ष पद की कुर्सी सम्भाला दी।

डांगी के पुत्र: अध्यक्ष बनने से भाजपा का एक खेमा नाराज चल रहा है। दूसरा खेमा नाराज है कि पालिका बोर्ड में भाजपा के जो दूसरे पार्षद हैं। उनमें से किसी को भी यह जिम्मेदारी दी जाए लेकिन भाजपा के एक नेता के आगे किसी पार्षद और कार्यकर्ता की सुनवाई नहीं की जा रही है। फिलहाल मामला हाईकोर्ट में चला गया है, एसीबी ने भी डांगी का रिश्कत अपराध प्रमाणित कर चालान पेश कर दिया है।

उदयपुर में गंगु कुण्ड में नहाने गए दो युवकों की डूबने से मौत

दोनों युवक आपस में मित्र थे, एक युवक निजी जाँब करता था वहीं दूसरा कार ड्राइवर था

उदयपुर, (निसं)। शहर के आयड स्थित गंगु कुण्ड में शुक्रवार दोपहर नहाने गए दो युवकों की पानी में डूबने से मौत हो गई। दोनों युवक आपस में मित्र थे। पानी में युवकों की डूबने की सूचना के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई वहीं सिविल डिफेंस टीम ने मौके पर पहुंच करीब दो घंटे में दोनों युवकों के शव पानी से बाहर निकाले। एक युवक निजी जाँब करता था वहीं दूसरा कार ड्राइवर था। दोनों ने नहाने का मन बनाया और गंगु कुण्ड नहाने पहुंचे। जाँब छोड़कर अलवर लौट रहे कपिल को क्या पता था कि उसकी उदयपुर से नहीं बल्कि जिंदगी से विदा होने वाला है।

भूपालपुरा थाना पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार दोपहर में कपिल शर्मा (32) पुत्र सुरेशचन्द्र शर्मा निवासी अलवर हाल आयड व गणेश



उदयपुर के गंगु कुण्ड में मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने शवों को बाहर निकाला।

मेहरा (44) पुत्र अम्बालाल मेहरा निवासी पायड़ा हाल बलीचा दोनों मित्र

आयड स्थित गंगु कुण्ड पर नहाने पहुंचे। दूज गए जैसे ही घटना की सूचना क्षेत्र में फैली गंगु कुण्ड पर भारी भीड़ जमा

हो गई और सिविल डिफेंस की टीम भी मौके पर पहुंची। जहां दो घंटे के बाद दोनों के शवों को बाहर निकाल लिया गया।

जानकारी के अनुसार कपिल शर्मा प्राइवेट जाँब करता था और जाँब छोड़कर वापस उसने अलवर गाँव लौटने का मन बना लिया था। वहीं गणेश कार चालक था। मित्रता होने से उसने अलवर जाने के लिए उसी को अपनी कार से छोड़ने के लिए कहा था और गर्मी ज्यादा होने से दोनों गंगु कुण्ड नहाने पहुंचे थे जहां यह हादसा हो गया। हालांकि इस दौरान वहां खड़े बच्चे ने इन्हें डूबता देख शोर भी मचाया लेकिन सहायता के लिए पहुंचते इससे पहले दोनों पानी में डूब चुके थे। पुलिस ने कपिल का पोस्टमॉर्टम करा शव परिजनों को सौंप दिया जबकि गणेश का शव परिजनों के आने पर दिया जाएगा।

दोस्तों के साथ घूमने आए युवक की सरोवर में डूबने से मौत

मृतक युवक का आज जन्मदिन था

पुष्कर, (निसं)। अपने जन्मदिन के एक दिन पहले शुक्रवार को तीर्थ नगरी पुष्कर अपने दोस्तों के साथ घूमने आए किशनगढ़ निवासी जितेंद्र पुत्र जीवनराम रेगर की सरोवर में डूबने से मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुष्कर पुलिस और स्थानीय तीर्थ पुरोहित, गोताखोर मौके पर पहुंचे और युवक को सरोवर से बाहर निकलने का प्रयास शुरू कर दिया। करीब दो घंटे की मशककत के बावजूद गहराई के चलते सरोवर से युवक को बाहर नहीं निकाला जा सका। स्थानीय पुलिस ने पूरे मामले को लेकर कंट्रोल रूम में सूचना देकर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ से मदद की गुहार लगाई है।

किशनगढ़ के हाउसिंग बोर्ड राजा रेड्डी कॉलोनी निवासी (20) जितेंद्र रेगर पुत्र जीवनराम रेगर अपने दोस्त



जितेंद्र पुत्र जीवनराम रेगर।

शुभम, सुमित, पिंटू और जसराज के साथ पुष्कर घूमने आया था। इस दौरान पुष्कर सरोवर के तरापी घाट के नजदीक बावरी घाट पर सरोवर में स्नान करने के लिए आए थे। मृतक

जितेंद्र के दोस्तों ने बताया कि जितेंद्र रस्सी पकड़े सरोवर के गहरे क्षेत्र में चला गया और डूब गया।

इस दौरान उन्होंने हल्ला मचाया आवाज सुनकर स्थानीय तीर्थ पुरोहित और गोताखोर मौके पर पहुंचे और युवक को बचाने का प्रयास शुरू कर दिया। मौके पर पहुंची पुष्कर पुलिस ने मामले को लेकर कंट्रोल रूम को सूचना दी और एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की मदद मांगी है। दोपहर दो बजे टीम मौके पर पहुंची और करीब 20 मिनट बाद मृतक जितेंद्र रेगर केशव को सरोवर को 30 फीट गहराई से बाहर निकाल लिया। पुष्कर पुलिस ने शव राजकीय चिकित्सालय के मोर्चरी में रखवा दिया है। जहां से पोस्टमॉर्टम कर सर्व परिजनों को सौंपा जाएगा।